न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 124/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बारां
दायरा दिनांकः 26.9.2017
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

कैलाशचन्द दतक पुत्र स्वर्गीय किशनलाल, जाति कलाल, निवासी ग्राम बड़वा, तहसील अन्ता, जिला बारां।

... अपीलार्थी

बनाम

1. कान्तीबाई पुत्री स्वर्गीय श्रीमति मोत्या बाई एवम् स्वर्गीय किशनलाल जी पत्नि श्री जगदीश, जाति कलाल, निवासी ग्राम बड़वा, तहसील अन्ता, जिला बारां।
2. ग्राम पंचायत बड़वा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बड़वा, तहसील अन्ता, जिला बारां।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
श्री महेश योगी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–1

:::निर्णय:::

दिनांक 25.4.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 12/2017 अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट बउनवान कैलाशचन्द बनाम कान्तीबाई वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 18.9.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बड़वा तह0 अन्ता जिला बारां में खाता सं0 678 में ख0नं0 935 रकबा 0.32 हे0, ख0नं0 3705/604 रकबा 1.28 हे0 किता 2 रकबा 1.60 हे0 भूमि स्थित है जिसमे मृतक मोत्याबाई पत्नी किशनलाल का हिस्सा 1/2 नियत है उक्त आराजी अपीलान्ट को गोद पुत्र व पगड़ी बंधवाई में आपसी सहमति से प्राप्त हुई है। खातेदार मोत्याबाई का स्वर्गवास दिनांक 28.12.2013 को हो चुका है। अपीलान्ट मोत्याबाई, किशनलाल का दत्तक पुत्र है। रेस्पोडेन्ट क्रम–1 ने रेस्पोडेन्ट क्रम–2 से मिलकर गलत तरीके से मोत्याबाई का 1/2 हिस्सा इन्तकाल नं0 2288 दिनांक 06.01.2017 से अपने नाम तस्दीक करवा लिया इस कारण इन्तकाल खारिज किए जाने योग्य है। उक्त आराजी का मूल वाद विचाराधीन रहते इन्तकाल दर्ज किया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः इन्तकाल नं0 2288 दिनांक 06.01.2017 निरस्त किया जाकर मृतक मोत्याबाई देवा किशनलाल जाति कलाल निवासी बडवा के स्थान पर सम्पूर्ण हिस्से पर अपीलान्ट को खातेदार घोषित किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता ने अपीलान्ट द्वारा दत्तक पुत्र होने का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नही करने व अपना पक्ष साबित करने में असफल रहने तथा कान्तीबाई राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर किशनलाल व मोत्याबाई की जायज वारिस होना साबित होने से निर्णय दिनांक 18.09.2017 अपील अपीलान्ट खारिज की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की पेश की गई की प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर नही किया की अपीलान्ट किशनलाल और मोत्याबाई का गोद पुत्र है। किशनलाल व मोत्याबाई ने अपीलान्ट को बचपन में जब वह पाँच वर्ष का था गोद ले लिया था। गाँव, जाति व समाज में अपीलान्ट को किशनलाल एवं मोत्याबाई के गोद पुत्र के रूप में जाना जाता है। गोद पुत्र होने से अपीलान्ट मोत्याबाई का उत्तराधिकारी है तथा उपरोक्त भूमि अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। मोत्याबाई, अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के मध्य हुये आपसी समझौते में भी मोत्याबाई एवं रेस्पो0 नम्बर 1 ने अपीलान्ट को किशनलाल एवं मोत्याबाई का गोद पुत्र होना स्वीकार किया था, जिसकी तहरीर भी लिखी गई थी समझौते के तहत उपरोक्त भूमि अपीलान्ट को दी गई थी। वक्त समझौते से

ही उपरोक्त भूमि अपीलान्ट के कब्जे में चली आ रही है। वर्तमान में भी अपीलान्ट उपरोक्त भूमि पर काबिज है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिए बिना व सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना तथा उत्तराधिकार तथा भूमि पर कब्जे के संबंध में जांच किए बिना नामांतरकरण तस्दीक करने में त्रुटि की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य था। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जेरअपील निर्णय से यथावत रखने में त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया की ग्राम पंचायत को नामांतरकरण तस्दीक करने का अधिकार नहीं था। राज्य सरकार द्वारा जिस अधिसूचना से ग्राम पंचायन को नामांतरकरण तस्दीक करने की शक्तियाँ दी गई थी उसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य, अवेध घोषित किया जा चुका है। क्योंकि ग्राम पंचायत का गठन राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न होकर राज0 पंचायत राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत हुआ है इस कारण कानूनन राज्य सरकार द्वारा नामांतरकरण तस्दीक करने की शक्तियाँ ग्राम पंचायत को प्रदान नहीं की जा सकती इस कारण भी नामांतरकरण संख्या 2288 निरस्त होने योग्य था, अपील विषयक आराजी के संबंध में पक्षकारान् के मध्य पूर्व से ही वाद विचाराधीन है जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा जारी हो रही है। उसके बावजूद भी रेस्पो0 नम्बर 2 ने नामांतरकरण तस्दीक करने में त्रुटि की है जो निरस्त होने योग्य था अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यो पर गोर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर हुक्म जेर अपील तथा नामांतकरण संख्या 2288 निरस्त किया जाकर भूमि अपीलान्ट के खाते दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजि0 की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/समन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी मे मोत्याबाई का 1/2 हिस्सा नियत था। किशनलाल व मोत्याबाई ने अपीलान्ट को गोद लिया था। मोत्याबाई, अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के मध्य हुये आपसी समझौते में भी मोत्याबाई एवं रेस्पो0 नम्बर 1 ने अपीलान्ट को किशनलाल जी एवं मोत्याबाई का गोद पुत्र होना स्वीकार किया था, जिसकी जहरीर भी लिखी गई थी समझौते के तहत उपरोक्त भूमि अपीलान्ट को दी गई थी। वक्त समझौते से ही उपरोक्त भूमि अपीलान्ट के कब्जे में चली आ रही है। ग्राम पंचायत ने नामांतरकरण संख्या 2288 दिनांक 06.01.2017 मोत्याबाई की मृत्यु उपरान्त रेस्पो0 नम्बर 1 के नाम तस्दीक कर त्रुटि की है क्योंकि भू राजस्व अधिनियम मे नामांतरकरण तस्दीक करने की शक्तियां ग्राम पंचायत को प्राप्त नही है। राज्य सरकार द्वारा जिस अधिसूचना से ग्राम पंचायन को नामांतरकरण तस्दीक करने की शक्तियाँ दी गई थी उसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य, अवेध घोषित किया जा चुका है। ग्राम पंचायत ने नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। अतः विचारण न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित होने से निरस्त होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किए बिना जेर अपील निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। बहस मे आगे प्रकट किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में राशनकार्ड/वोटर लिस्ट/आधार कार्ड तथा भूमि पर कब्जे के संबध मे तहरीर दिनांक 3.4. 1988 आदि की प्रतियाँ पेश की गई थी, जिससे अपीलान्ट का किशनलाल व मोत्याबाई का गोद पुत्र होना प्रमाणित था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं कर अपील को त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज कर दिया। अपने कथन के समर्थन में आरआरबी 1984 पेज 174 आरआरबी 2005 पेज 97 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 18.09.2017 एवं नामांतरकरण संख्या 2288 निरस्त किया जाकर भूमि अपीलान्ट के खाते दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–1 ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांट कैलाशचंद को किशनलाल व मोत्याबाई ने कभी गोद नही लिया तथा ना ही कोई स्टाम्प तहरीर किया गया। राजकीय दस्तावेजो मे आज भी अपीलांट कैलाश के पिता का नाम बिशनलाल ही दर्ज है। खातेदार किशनलाल की मृत्यु उपरांत उक्त वर्णित आराजी मोत्याबाई व रेस्पो0 कम–1 कांतीबाई के नाम दर्ज हुई जिसमे प्रत्येक का 1/2, 1/2 हिस्सा था। मोत्याबाई ने अपने हिस्से की वसीयत पुत्री कांतीबाई के नाम कर दी थी। ग्राम पंचायत ने मोत्याबाई का फौती इंतकाल सं0 2288 एक मात्र पुत्री कांतीबाई होने से उसके नाम दर्ज किया है अवविवादित–फौती नामान्तरकरण को तस्दीक करने हेतु ग्राम पंचायत को शक्तियां प्राप्त है। अतः सरंपच ग्राम पंचायत ने उक्त वर्णित इंतकाल तस्दीक करने मे किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नही की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तथ्यो का समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे आगे यह भी प्रकट किया कि गोदपुत्र का विषय राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णित नही किया जा सकता गोदपुत्र के बिन्दू को तय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। प्रथम अपीलीय न्यायालय मे दत्तक पुत्र होने का कोई ठोस प्रमाण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही करने व अपना पक्ष साबित करने में असफल रहने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपील अपीलांट

जेरअपील निर्णय से खारिज की है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। उक्त तथ्यो के आलोक मे अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया तथा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक नजीर पर गौर किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम बडवा की आराजी ख0 नं0 935 रकबा0.32 है0 ख0 नं0 3705/604 रकबा 1.28 है0 कुल किता 2 रकबा 1.60 है0 मोत्याबाई पत्नी किशनलाल, कान्तीबाई पुत्री किशनलाल जाति कलाल के नाम दर्ज है। मोत्याबाई के फौत होने उपरांत फौती इंतकाल सं0 2288 दिनांक 6.1.2017 से सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा मृतक मोत्याबाई का नाम खारिज करने की स्वीकृति दी गई। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि वह किशनलाल व मोत्याबाई का गोदपुत्र है जिसकी तहरीर लिखी गई थी तथा रेस्पो0 क्रम–1 ने भी गोदपुत्र होना स्वीकार किया था तब से ही भूमि अपीलांट के कब्जे मे चली आ रही है। दूसरा तर्क है कि ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण तस्दीक करने की शक्तिया प्राप्त नही है। राज्य सरकार द्वारा जिस अधिसूचना से ग्राम पंचायत को नामांतरकरण तस्दीक करने की शक्तियाँ दी गई थी उसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य, अवेध घोषित किया जा चुका है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का यह भी तर्क रहा है कि ग्राम पंचायत ने नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। अतः विचारण न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से निरस्त होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वर्णित तथ्यों एंव पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख, राशनकार्ड/वोटर लिस्ट/आधार कार्ड तथा भूमि पर कब्जे के संबध मे तहरीर दिनांक 3.4.1988 आदि पर गौर किये बिना जेर अपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 का प्रकरण मे तर्क है कि अपीलांट को किशनलाल व मोत्याबाई ने गोद नही लिया ना ही कोई तहरीर आलेखित की है, ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण तस्दीक करने की शक्तियां प्राप्त है विरासत का नामान्तकरण रेस्पो0 क्रम–1 के नाम सही रूप से तस्दीक किया गया है। उपरोक्त तर्क के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय मे नकल आईडी, राशन कार्ड, ड्राईवर लाईसेन्स, गैस डायरी, गोदनामा की प्रतियां पेश की गई है। उक्त दस्तावेजात मे अपीलांट के पिता का नाम किशनलाल दर्ज है जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कोई गौर नही किया तथा ना ही इस संबध मे निर्णय मे अपना कोई स्पष्ट अभिमत प्रकट किया। नामा0 सं0 2288 दिनांक 6.1.2017 के अवलोकन से ~~प्रकट होता है कि~~ उक्त वर्णित आराजी का नामा0 तस्दीक करने से पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया जाना प्रकट होता है। इस तथ्य पर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कोई गौर नही किया। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि यद्यपि राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण तस्दीक करने की शक्तियां प्रदान की गई थी किन्तु प्रश्नगत अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आरआरडी 2005 पेज 97 का न्यायिक उद्धरण पेश कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डीबी सिविल स्पे0 अपील नं0 165/1987 बुद्धदान बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य मे दिनांक 2 जून 2004 को पारित निर्णय के आलोक मे ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण तस्दीक करने की शक्तियों को अवैध, अमान्य करार दिये जाने संबधी कथन किया गया है। अतः उक्त न्यायिक उद्धरण का प्रश्नगत प्रकरण मे क्या प्रभाव है प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस संबध मे अपना कोई अभिमत जेरअपील निर्णय मे प्रकट नही किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त वर्णित तथ्यों का समुचित अवलोकन किये बिना जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 18.9.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त वर्णित तथ्यो का समुचित अवलोकन कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित/रिमांड किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्याया0 उपखण्ड अधिकारी अन्ता द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 18.9.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के बिन्दू सं0 5 मे विवेचित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित/रिमांड किया जाता है

7 निर्णय आज दिनांक 25.4.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा